रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 563] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1976/पौष 9, 1898

No. 563] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1976/PAUSA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 30th December 1976

S.O. 842(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1976.

2. After rule 9 of the Income-tax Rules, 1962, the following rules shall be inserted, namely:—

'9A. *Deduction in respect of expenditure on production of feature films.*—(1) In computing the profits and gains of the business of production of feature films carried on by a person (the person carrying on such business hereafter in this rule referred to as film producer), the deduction in respect of the cost of production of a feature film certified for release by the Board of Film Censors in a previous year shall be allowed—

(a) in the case of a feature film, being a regional language features film, in accordance with the provisions of sub-rule (2) to sub-rule (4);

(b) in the case of a feature film (not being a regional language feature film), in accordance with the provisions of sub-rule (5) to sub-rule (7).

Explanation.—In this rule,—

(i) "Board of Film Censors" means the Board of Film Censors constituted under the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952);

(ii) "cost of production", in relation to a feature film, means the expenditure incurred on the production of the film, not being—

(a) the expenditure incurred for the preparation of the positive prints of the film; and

(b) the expenditure incurred in connection with the advertisement of the film after it is certified for release by the Board of Film Censors;

(iii) "regional language feature film" means a feature film made in any language (other than Hindi or Urdu) specified in the Eighth Schedule to the Constitution.

(2) Where a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors in any previous year and in such previous year,—

(a) the film producer sells all rights of exhibition of the film, the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year; or

(b) the film producer—

(i) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(ii) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(iii) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such previous year, the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year.

(3) Where a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors in any previous year and in such previous year, the film producer—

(a) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(b) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(c) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is not released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such previous year, the cost of production of the film in so far as it does not exceed the amount realised by the film producer by exhibiting the film on a commercial basis or the amount for which the rights of exhibition are sold or, as the case may be, the aggregate of the amounts realised by the film producer by exhibiting the film and by the sale of the rights of exhibition, shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year; and the balance, if any, shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

(4) Where, during the previous year in which a regional language feature film is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer does not himself exhibit the film on a commercial basis or does not sell the rights of exhibition of the film, no deduction shall be allowed in respect of the cost of production of the film in computing the profits and gains of such previous year; and the entire

cost of production of the film shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

(5) Where a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors in any previous year and in such previous year,—

(a) the film producer sells the rights of exhibition of the film in respect of all the Territories specified in the Table below sub-rule (11) (hereafter in this rule referred to as the said Table), the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year; or

(b) the film producer—

(i) himself exhibits the film on a commercial basis in all the Territories specified in the said Table; or

(ii) himself exhibits the film on a commercial basis in respect of some of the Territories specified in the said Table and sells the rights of exhibition of the film in respect of the remaining Territories thereof,

the entire cost of production of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year.

Eplanation.—For the purposes of this sub-rule and sub-rule (6),—

(a) where the film producer has exhibited the feature film on a commercial basis in, or where the rights of exhibition of such film have been sold by the film producer in respect of, the areas specified in any six or more of the items enumerated under Territory L in *Explanation* 1 to the said Table, the film shall be deemed to have been so exhibited or the rights of exhibition of such film shall be deemed to have been so sold in respect of all the areas specified in that Territory;

(b) where the film producer has exhibited the feature film on a commercial basis in, or where the rights of exhibition of such film have been sold by the film producer in respect of, the areas specified in less than six items enumerated under Territory L, the sum specified in column (2) of the said Table against Territory L shall be substituted by the sum arrived at by multiplying the number of such items by the figure "2".

(6) Where a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors in any previous year and in such previous year, the film producer,—

(a) himself exhibits the film on a commercial basis in some of the Territories specified in the said Table; or

(b) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the Territories specified in the said Table; or

(c) himself exhibits the film on a commercial basis in some of the Territories specified in the said Table and sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the remaining Territories thereof,

the cost of production of the film to be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year shall be an appropriate fraction of the entire cost of production of the film; and the balance, if any, shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule "appropriate fraction" means the fraction the numerator of which is the sum or, as the case may be, the aggregate of the sums, specified in column (2) of the said Table against the Territory or Territories specified in column (1) thereof in which the film producer has himself exhibited the feature film on a commercial basis, or in respect of which the film producer has sold the rights of exhibition of the feature film, or in which the feature film has been so exhibited and in respect of which the rights of exhibition have been sold during the previous year, and the denominator of which is one hundred.

(7) Where, during the previous year in which a feature film (not being a regional language feature film) is certified for release by the Board of Film Censors, the film producer does not himself exhibit such feature film in any of the Territories specified in the said Table, or does not sell the rights of exhibition of such feature film in respect of any of the Territories specified in the said Table, no deduction shall be allowed in respect of the cost of production of the film in computing the profits and gains of such previous year; and the entire cost of production of the film shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule, the deduction under this rule shall not be allowed unless,—

(a) in a case where the film producer—

(i) has himself exhibited the feature film on a commercial basis; or

(ii) has sold the rights of exhibition of the feature film; or

(iii) has himself exhibited the feature film on a commercial basis in some areas or in some of the Territories specified in the said Table, and has sold the rights of exhibition of the feature film in respect of all or some of the remaining areas or Territories,

the amount realised by exhibiting the film, or the amount for which the rights of exhibition have been sold or, as the case may be, the aggregate of such amounts, is credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible;

(b) in a case where the film producer has transferred the rights of exhibition of the feature film on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed and the amount, if any, received or due in excess of the guaranteed amount or where the film producer follows cash system of accounting, the amount received towards the minimum guarantee and the amount, if any, received in excess of the guaranteed amount, are credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible.

(9) Where the Income-tax Officer is of opinion that—

(a) the exhibition of the feature film on a commercial basis by the film producer in, or the sale by the film producer of the rights of exhibition of the feature film in respect of, various Territories does not conform to the classification of Territories in the said Table; or

(b) the rights of exhibition of the feature film have been transferred by the film producer by a mode not covered by the provisions of this rule; or

(c) having regard to the facts and circumstances of any case, it is not practicable to apply the provisions of this rule to such case,

deduction in respect of the cost of production of the film may be allowed by the Income-tax Officer in such other manner as he may deem suitable.

(10) For the purposes of this rule,—

(i) the sale of the rights of exhibition of a feature film includes the lease of such rights or their transfer on a minimum guarantee basis;

(ii) the rights of exhibition of a feature film shall be deemed to have been sold only on the date when the positive prints of the film are delivered by the film producer to the purchaser of such rights or where in terms of the agreement between the film producer and the film distributor as defined in rule 9B, the position prints are to be made by the film distributor, the date on which the negative of the film is delivered by the film producer to the film distributor.

(11) Nothing contained in sub-rule (1) to sub-rule (10) shall apply—

(a) in relation to any assessment year commencing on the 1st day of April, 1973, the 1st day of April, 1974, the 1st day of April, 1975, or the 1st day of April, 1976, unless,—

(i) in a case where the assessment in respect of that year is pending before the Income-tax Officer, the film producer exercises an option by furnishing a declaration in writing to the Income-tax Officer (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the cost of production of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of sub-rule (1) to sub-rule (10);

(ii) in a case where the assessment in respect of that year has been completed by the Income-tax Officer and the film producer has preferred or prefers an appeal or revision against the assessment made by the Income-tax Officer, the film producer exercises an option by furnishing a declaration in writing to the Appellate Assistant Commissioner, the Appellate Tribunal or, as the case may be, the Commissioner (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the cost of production of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of sub-rule (1) to sub-rule (10);

(b) in relation to any assessment year commencing before the 1st day of April, 1973.

THE TABLE

Territory in respect of which the rights of exhibition of the feature film have been sold during the previous year	Sum to be taken into account for determining the cost of production to be allowed as a deduction
(1)	(2)
Territory A	17
Territory B	16
Territory C	17
Territory D	8
Territory E	7
Territory F	4
Territory G	4
Territory H	5
Territory I	4½
Territory J	2½
Territory K	3
Territory L	12

Explanation 1.—The Territories referred to in the foregoing Table shall have the following meaning, namely:—

Territory A:

(a) The areas comprised in the districts of Ahmednagar, Greater Bombay, Kolaba, Kolhapur, Nasik, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sholapur and Thane in the State of Maharashtra;

(b) the whole of the State of Gujarat;

(c) the areas comprised in the districts of Belgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara in the State of Karnataka;

(d) the whole of the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.

Territory B:

(a) The whole of the Union territory of Delhi;

(b) the whole of the State of Uttar Pradesh.

Territory C:

(a) The whole of the States of Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, Sikkim and West Bengal;

(b) the whole of the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh and Mizoram.

Territory D:

(a) The whole of the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab;

(b) the whole of the Union of Chandigarh.

Territory E:

(a) The areas comprised in the districts of Akola, Amravati, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Nagpur, Wardha and Yavatmal in the State of Maharashtra;

(b) the areas comprised in the districts of Balaghat, Bastar, Betul, Bilaspur, Chhindwara, Damoh, Durg, Hoshangabad, Jabalpur, Khandwa (East Niwar), Mandla, Narsimhapur, Raigarh, Raipur, Raisen, Sagar, Seoni and Surguja in the State of Madhya Pradesh.

Territory F:

The areas comprised in the districts of Bhind, Chattarpur, Datia, Dewas, Dhar, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone (West Niwar), Mandsaur, Morena, Parma, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Satna, Sehore, Shahdol, Shajapur, Shivpuri, Sidhi, Tikkamgarh, Ujjain and Vidisha in the State of Madhya Pradesh.

Territory G:

The whole of the State of Rajasthan.

Territory H:

(a) The areas comprised in the districts of Adilabad, Karimnagar, Khammam, Hyderabad, Medak, Mahbubnagar, Nalgonda, Nizamabad and Warangal in the State of Andhra Pradesh;

(b) the areas comprised in the districts of Bidar, Gulbarga and Raichur in the State of Karnataka;

(c) the areas comprised in the districts of Aurangabad, Bhir, Nandad, Osmanabad and Parbhani in the State of Maharashtra.

Territory I:

The areas comprised in the districts of Bangalore, Bellary, Chikmagalur, Chitaradurga, Coorg, Hassan, Kolar, Mandya, Mysore, Shimoga, South Kanara and Tumkur in the State of Karnataka.

Territory J:

The areas comprised in the districts of Anantapur, Chittoor, Cuddapah, East Godavari, Guntur, Krishna, Kurnool, Nellore, Prakasam, Srikakulam, Vishakapatnam and West Godavari in the State of Andhra Pradesh.

Territory K:

(a) The whole of the States of Kerala and Tamil Nadu;

(b) the whole of the Union territories of Pandicherry and Lakshadweep.

Territory L:

(i) United Kingdom and Ireland.

(ii) Western Europe.

(iii) U.S.S.R. and East European countries.

(iv) North Africa, including Algeria, Morocco, Tunisia, Libya, Mauritanis, Guinea, Senegal, Mali, Upper Volta, Ivory Coast, Gabon, Togo, Dahomey and Gibralter.

(v) West Africa, including Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Cameroon and Liberia.

(vi) East Africa, including Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Mozambique, Seychelles, Ethiopia, Somalia, Rwanda and Congo.

(vii) Mauritius, Madagascar (Malagasay Republic) and Reunion Islands.

(viii) Aden, Yemen and Djibouti.

(ix) Middle East, including United Arab Republic, Sudan, Lebanon, Syria, Jordan, Iran, Iraq and Turkey.

(x) Afghanistan.

(xi) Israel.

(xii) Arabian Gulf, including Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates (formerly called the Trucial States) and Oman.

(xiii) Sri Lanka.

(xiv) Bangla Desh

(xv) Burma.

(xvi) Far East, including Singapore, Malaysia, Brunsi, Indonesia, Indo-China comprising of North and South Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Hong-Kong and the Philippines, Japan and Taiwan, Australia and New Zealand.

(xvii) Fiji Islands.

(xviii) U.S.A. and Canada.

(xix) Latin America, including the countries in South America (except Guyana, Surinam and French Guyana) and Cuba.

(xx) West Indies, including Antigua, Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago, St. Lucia, St. Vincent, Panama, Surinam, Guyana and French Guyana.

(xxi) Bhutan and Nepal.

Explanation 2.—The reference to any district in *Explanation* 1 shall be construed as a reference to the areas comprised in that district on the date on which the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1976 are notified in the Official Gazette.

9B. *Deduction in respect of expenditure on acquisition of distribution rights of feature films.*—(1) In computing the profits and gains of the business of distribution of feature films carried on by a person (the person carrying on such business hereafter in this rule referred to as film distributor), the deduction in respect of the cost or acquisition of a feature film shall be allowed in accordance with sub-rule (2) to sub-rule (4).

Explanation.—For the purposes of this rule, "cost of acquisition", in relation to a feature film, means the amount paid by the film distributor to the film producer as defined in rule 9A under an agreement entered into by him with such film producer for acquiring the rights of exhibition and, where the rights of exhibition have been acquired on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed, not being—

(i) the amount of expenditure incurred by the film distributor for the preparation of the positive prints of the film; and

(ii) the expenditure incurred by him in connection with the advertisement of the film.

(2) Where a feature film is acquired by the film distributor in any previous year and in such previous year,—

(a) the film distributor sells all rights of exhibition of the film, the entire cost of acquisition of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year; or

(b) the film distributor,—

(i) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(ii) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(iii) himself exhibts the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is released for exhibition on a cammercial basis at least ninety days before the end of such previous year, the entire cost of acquisition of the film shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year.

(3) Where a feature film in acquired by the film distributor in any previous year and in such previous year the film distributor—

(a) himself exhibits the film on a commercial basis in all or some of the areas; or

(b) sells the rights of exhibition of the film in respect of some of the areas; or

(c) himself exhibits the film on a commercial basis in certain areas and sells the rights of exhibition of the film in respect of all or some of the remaining areas,

and the film is not released for exhibition on a commercial basis at least ninety days before the end of such previous year, the cost of acquisition of the film in so far as it does not exceed the amount realised by the film distributor by exhibiting the film on a commercial basis or the amount for which the rights of exhibition have been sold or, as the case may be, the aggregate of the amounts realised by the film distributor by exhibiting the film and by the sale of the rights of exhibition, shall be allowed as a deduction in computing the profits and gains of such previous year; and the balance, if any, shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

(4) Where, during the previous year in which a feature film is acquired by the film distributor, he does not himself exhibit the film on a commercial basis or does not sell the rights of exhibition of the film, no deduction shall be allowed in respect of the cost of acquisition of the film in computing the profits and gains of such previous year; and the entire cost of acquisition shall be carried forward to the next following previous year and allowed as a deduction in that year.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule, the deduction under this rule shall not be allowed unless—

(a) in a case where the film distributor—

(i) has himself exhibited the feature film on a commercial basis; or

(ii) has sold the rights of exhibition of the feature film; or

(iii) has himself exhibited the feature film on a commercial basis in some areas and has sold the rights of exhibition of the feature film in respect of all or some of the remaining areas,

the amount realised by exhibiting the film, or the amount for which the rights of exhibition have been sold, or, as the case may be, the aggregate of such amounts, is credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible;

(b) in a case where the film distributor has transferred the rights of exhibition of the feature film on a minimum guarantee basis, the minimum amount guaranteed and the amount, if any, received or due in excess of the guaranteed amount, or where the film distributor follows cash system of accounting, the amount received towards the minimum guarantee and the amount, if any, received in excess of the guaranteed amount, are credited in the books of account maintained by him in respect of the year in which the deduction is admissible.

(6) For the purposes of this rule,—

(i) the sale of the rights of exhibition of a feature film includes the lease of such rights or their transfer on a minimum guarantee basis;

(ii) the rights of exhibition of a feature film shall be deemeed to have been sold only on the date when the positive prints of the film are delivered by the film distributor to the purchaser of such rights.

(7) Nothing contained in sub-rule (1) to sub-rule (6) shall apply—

(a) in relation to any assessment year commencing on the 1st day of April, 1973, the 1st day of April, 1974, the 1st day of April, 1975, on the 1st day of April, 1976, unless—

(i) in a case where the assessment in respect of that year is pending before the Income-tax Officer, the film distributor exercises an option by furnishing a declaration in writing to the Income-tax Officer (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the cost of acquisition of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of sub-rule (1) to sub-rule (6);

(ii) in a case where the assessment in respect of that year has been completed by the Income-tax Officer and the film distributor has preferred or prefers an appeal or revision against the assessment made by the Income-tax Officer, the film distributor exercises an option by furnishing a declaration in writing to the Appellate Assistant Commissioner, the Appellate Tribunal or, as the case may be, the Commissioner (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the cost of acquisition of the feature film may be allowed in accordance with the provisions of sub-rule (1) to sub-rule (6);

(b) in relation to any assessment year commencing before the 1st day of April, 1973.'.

[No. 1602/F.No.142(21)/76-TPL]

S. N. SHENDE,

Secy., Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1976

सा० आ० 842(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है ; अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1976 है।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**9क. कथा चित्रों के निर्माण पर व्यय की बाबत कटौती**—(1) कथाचित्रों के निर्माण का कारबार चलाने वाले किसी व्यक्ति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् फिल्म निर्माता कहा गया है), के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में किसी ऐसे कथाचित्र को, जिसे फिल्म सेंसरबोर्ड ने निर्मोचन के लिए पूर्व वर्ष में प्रमाणित किया हो, निर्माण लागत की बाबत कटौती—

(क) ऐसे कथाचित्र की दशा में जो प्रादेशिक भाषा कथाचित्र है, उपनियम (2) से उपनियम (4) तक के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ;

(ख) ऐसे कथाचित्र की दशा में (जो प्रादेशिक भाषा का कथाचित्र नहीं है) उपनियम (5) से उपनियम (7) तक के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम में,—

(i) "फिल्म सेंसरबोर्ड" से चल चित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के अधीन गठित फिल्म सेंसरबोर्ड अभिप्रेत है ;

(ii) किसी कथा चित्र के संबंध में "निर्माण लागत" से फिल्म के निर्माण पर उपगत व्यय अभिप्रेत है। ऐसे व्ययों में निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) फिल्म के पोजीटिव प्रिंट तैयार करने में उपगत व्यय ; और

(ख) फिल्म सेंसरबोर्ड द्वारा फिल्म को निर्मोचन के लिए प्रमाणित किए जाने के पश्चात् उसके विज्ञापन के संबंध में उपगत व्यय ;

(iii) "प्रादेशिक भाषा कथा चित्र" से (हिन्दी या उर्दू से भिन्न) किसी भाषा में, जो संविधान की अष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, बनाया गया कथा चित्र अभिप्रेत है।

(2) जहां फिल्म सेंसरबोर्ड किसी प्रादेशिक भाषा कथा चित्र को निर्मोचन के लिए किसी पूर्व वर्ष में प्रमाणित करता है और ऐसे पूर्व वर्ष में—

(क) फिल्म निर्माता फिल्म के प्रदर्शन के समस्त अधिकारों का विक्रय कर देता है वहां ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में फिल्म की समस्त निर्माण लागत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; अथवा

(ख) फिल्म निर्माता,—

(i) फिल्म को स्वयं वाणिज्यिक आधार पर सभी या कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है ; अथवा

(ii) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का कुछ क्षेत्रों की बाबत विक्रय कर देता है ; अथवा

(iii) फिल्म को स्वयं वाणिज्यिक आधार पर कतिपय क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है और शेष क्षेत्रों में से सभी या कुछ की बाबत फिल्म के प्रदर्शन का अधिकार विक्रय कर देता है, तथा ऐसे पूर्व वर्ष की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पहले उस फिल्म को वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए निर्मोचित कर दिया जाता है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में फिल्म की समस्त लागत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां कोई प्रादेशिक भाषा कथा चित्र फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी पूर्व वर्ष में निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे पूर्व वर्ष में फिल्म निर्माता,—

(क) फिल्म को स्वयं वाणिज्यिक आधार पर सभी या कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है ; अथवा

(ख) फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का कुछ क्षेत्रों की बाबत विक्रय कर देता है ; अथवा

(ग) फिल्म को स्वयं वाणिज्यिक आधार पर कतिपय क्षेत्रों में प्रदर्शित करता है और शेष क्षेत्रों में से सभी या कुछ की बाबत फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर देता है,

तथा ऐसे पूर्व वर्ष की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पहले फिल्म को वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए निर्मोचित नहीं किया जाता वहां फिल्म की निर्माण लागत, वहां तक जहां तक कि वह फिल्म को वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शित करके फिल्म निर्माता द्वारा प्राप्त की गई रकम से, अथवा उस रकम से जिस पर प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया गया है या फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म के प्रदर्शन से तथा प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय से प्राप्त की गई रकम के सकल योग से, अधिक नहीं है ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी, तथा अतिशेष, यदि कोई हो, ठीक आगामी पूर्व वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा

(4) जहां, उस वर्ष के दौरान जिसमें किसी प्रादेशिक भाषा कथा चित्र को फिल्म सेंसरबोर्ड ने निर्माण के लिए निर्मोचित किया है, फिल्म निर्माता स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फिल्म को प्रदर्शित नहीं करता या फिल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय नहीं करता, वहां फिल्म की निर्माण लागत की बाबत कोई भी कटौती ऐसे वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी; तथा फिल्म की पूर्ण निर्माण लागत को ठीक आगामी पूर्व वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) जहां किसी कथा चित्र को (जो प्रादेशिक भाषा कथा चित्र नहीं है) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा किसी पूर्व वर्ष में निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है और ऐसे पूर्व वर्ष में,—

(क) फ़िल्म निर्माता ऐसी फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का उपनियम (11) के नीचे सारणी में (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) विनिर्दिष्ट सभी राज्यक्षेत्रों की बाबत विक्रय करता है वहां फ़िल्म की समस्त निर्माण लागत ऐसे पूर्व व के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; या

(ख) फ़िल्म निर्माता—

(i) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्म का प्रदर्शन उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में करता है; या

(ii) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्म का प्रदर्शन उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में से करता है और उक्त सारणी के शेष राज्य क्षेत्रों की बाबत फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर देता है,

वहां फिल्म के निर्माण की समस्त लागत ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम और उपनियम (6) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) वहां जहां उक्त सारणी के स्पष्टीकरण 1 में 'ठ' राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत गिनाए गए राज्य क्षेत्रों में से कम से कम छह में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में फिल्म निर्माता कथा चित्र को वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शित करता है अथवा ऐसी फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों को उक्त क्षेत्रों की बाबत विक्रय कर देता है वहां यह समझा जाएगा कि फ़िल्म का प्रदर्शन या फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय उस राज्य क्षेत्र में विनिर्दिष्ट सभी क्षेत्रों में या उनकी बाबत कर दिया गया है।

(ख) जहां फ़िल्म निर्माता ने राज्यक्षेत्र 'ठ' के अधीन गिनाए गए छह से कम मदों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन किया है अथवा फ़िल्म के प्रदर्शनों के अधिकारों का विक्रय कर दिया है, वहां उक्त सारणी में 'ठ' राज्यक्षेत्र के सामने स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राशि के स्थान पर ऐसी म ों की संख्या से '2' अंक से गुणा करके प्राप्त राशि तिस्थापित की जाएगी। अंक से ऐसे राज्यक्षेत्रों की संख्या का गुणा करके जो संख्या आए उतनी रकम रखी जाएगी।

(6) जहां किसी पूर्व वर्ष में जिसमें किसी कथा चित्र को (जो प्रादेशिक भाषा कथा चित्र नहीं है) फ़िल्म सेंसरबोर्ड ारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है और ऐसे पूर्व वर्ष में फ़िल्म निर्माता—

(क) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्म का प्रदर्शन उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से कुछ में करता है; या

(ख) फ़िल्म प्रदर्शन के अधिकारों का उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों की बाबत विक्रय कर देता है; या

(ग) स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्म का प्रदर्शन उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से कुछ में करता है और उक्त सारणी के शेष राज्यक्षेत्रों में से कुछ की बाबत फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर देता है,

वहां ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में फ़िल्म की निर्माण लागत में से जो अंश कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा फ़िल्म की संपूर्ण निर्माण लागत का समुचित अंश होगा; और अतिशेष, यदि कोई हो, ठीक आगामी पूर्व वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए 'समुचित अंश' से वह अंश अभिप्रेत है जिसका अंश, यथास्थिति, वह राशि या उन राशियों का योग है जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में, सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उस राज्यक्षेत्र या उन राज्यक्षेत्रों के सामने विनिर्दिष्ट है जिनमें फ़िल्म निर्माता ने कथा चित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन किया या प्रदर्शन के अधिकार पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय कर दिए, अथवा जिसमें कथा चित्र इस प्रकार प्रदर्शित किया गया तथा जिनकी बाबत पूर्व वर्ष के दौरान प्रदर्शन के अधिकार विक्रय कर दिए, तथा जिसका हर एक सौ है।

(7) जहां, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें किसी कथाचित्र को (जो प्रादेशिक भाषा कथाचित्र नहीं है) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मोचन के लिए प्रमाणित किया गया है फिल्म निर्माता स्वयं ऐसे कथाचित्र का प्रदर्शन उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट किन्हीं राज्य क्षेत्रों में नहीं करता है, अथवा ऐसे कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से किसी की बाबत नहीं करता है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में फिल्म की निर्माण लागत की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; तथा फिल्म की पूरी निर्माण लागत ठीक आगामी पूर्व वर्ष को अग्रनीत की जाएगी और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(8) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के अधीन कटौती जब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक,—

(क) ऐसे मामले में जहां फिल्म निर्माता ने—

(i) स्वयं कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन किया है; अथवा

(ii) कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर दिया है; अथवा

(iii) स्वयं कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन कुछ क्षेत्रों में अथवा उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों में किया है, और कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय शेष सभी या कुछ क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रों की बाबत कर दिया है,

फिल्म के प्रदर्शन से प्राप्त रकम, अथवा वह रकम जिस पर प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया गया है अथवा, ऐसी रकमों का सकल योग, उस वर्ष की बाबत, जिसमें कटौती अनुज्ञेय है, उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों में जमा खाते नहीं कर दी जाती;

(ख) ऐसे मामले में जहां फिल्म निर्माता ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों को अंतरित कर दिया है, गारंटी की गई न्यूनतम रकम और वह रकम, यदि कोई हो, जो गारंटी की गई रकम के अधिक्य में प्राप्त की गई हो या शोध्य हो, अथवा जहां फिल्म निर्माता लेखे की नकदी प्रणाली का अनुगमन करता है वहां वह रकम जो न्यूनतम गारंटी मद्दे प्राप्त की गई है तथा वह रकम, यदि कोई हो, जो गारंटी की न्यूनतम रकम के आधिक्य में प्राप्त की गई है, उस वर्ष की बाबत, जिसमें कटौती अनुज्ञेय है, उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों में जमा खाते नहीं कर दी जाती।

(9) जहां आय-कर अधिकारी की यह राय है कि—

(क) विभिन्न राज्यक्षेत्रों में फिल्म निर्माता द्वारा कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन अथवा प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय उक्त सारणी में राज्यक्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुरूप नहीं है; अथवा

(ख) कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकार फिल्म निर्माता द्वारा ऐसी रीति से अंतरित किए गए हों जो इस नियम के उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं; अथवा

(ग) किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स नियम के उपबंधों को ऐसे मामले में लागू करना व्यवहार्य नहीं है,

वहां वह फिल्म की निर्माण-लागत की बाबत कटौती किसी ऐसी अन्य रीति से अनुज्ञात कर सकता है जैसी वह उपयुक्त समझे।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय के अन्तर्गत ऐसे अधिकारों ो किराये पर देना या न्यूनतम गारंटी के आधार पर उन्हें अंतरित करना भी आता है;

(ii) किसी कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को फिल्म के पोजिटिव प्रिन्ट फिल्म निर्माता द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को परिदत्त कर दिए जाते हैं अथवा जहां फिल्म निर्माता और फिल्म वितरक के, जैसा कि नियम 98 में परिभाषित है, बीच करार के निबंधनों के अनुसार पोजिटिव प्रिन्टों को फ़िल्म वितरक द्वारा बनाया जाना है वहां उस तारीख को माना जाएगा जिसको फिल्म का नेगेटिव फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म वितरक को परिदत्त कर दिया जाता है।

(11) उप-नियम (1) से उपनियम (10) तक को कोई बात—

(क) 1 अप्रैल, 1973, 1 अप्रैल, 1974, 1 अप्रैल, 1975 या 1 अप्रैल, 1976 को प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि,—

(i) ऐसी दशा में जहां उस वर्ष की बाबत निर्धारण आय-कर अधिकारी के समक्ष लम्बित है, फिल्म निर्माता आय-कर अधिकारी के समक्ष ऐसी लिखित घोषणा प्रस्तुत करके कि उस कथाचित्र की निर्माण लागत उपनियम (1) से उपनियम (10) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाए, अपने विकल्प का योग नहीं करता (ऐसा विकल्प उस निर्धारण वर्ष तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा);

(ii) ऐसी दशा में जहां आय-कर अधिका ी द्वारा उस वर्ष की बाबत निर्धारण पूरा कर दिया गया है और फिल्म निर्माता ने आय-कर अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन किया है या करता है, फ़िल्म निर्माता, यथास्थिति, सहायक आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या आयुक्त के समक्ष ऐसी लिखित घोषणा करके कि कथाचित्र की निर्माण-लागत उपनियम (1) से उपनियम (10) तक के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात की जाए, अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता (ऐसा विकल्प उस निर्धारण वर्ष तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा);

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से पू ् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत लागू नहीं होगी।

सारणी

वह राज्य क्षेत्र जिसकी बाबत कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकार पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय कर दिए गए हैं	वह राशि जो कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने के लिए, निर्माण लागत का अवधारण करने के लिए हिसाब में ली जाएगी
(1)	(2)
राज्यक्षेत्र क	17
राज्यक्षेत्र ख	16
राज्यक्षेत्र ग	17
राज्यक्षेत्र घ	8
राज्यक्षेत्र ङ	7
राज्यक्षेत्र च	4
राज्यक्षेत्र छ	4
राज्यक्षेत्र ज	[illegible]
	1
राज्यक्षेत्र झ	$4\frac{1}{2}$
राज्यक्षेत्र ञ	$2\frac{1}{2}$
राज्यक्षेत्र ट	3
राज्यक्षेत्र ठ	12

स्पष्टीकरण 1.—पूर्वगामी सारणी में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों का निम्नलिखित अर्थ होगा, अर्थात् :—

राज्यक्षेत्र क : (क) महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर, बृहत्तर मुम्बई, कोलाबा, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, रत्नगिरि, सांगली, सतारा, शोलापुर और थाणे जिलों में समाविष्ट क्षेत्र;

(ख) सम्पूर्ण गुजरात राज्य;

(ग) कर्नाटक राज्य के बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तर केनारा जिलों में समाविष्ट क्षेत्र ;

(घ) दादरा और नागर हवेली तथा गोवा, दमण और दीव के सम्पूर्ण संघ राजक्षेत्र ।

राज्यक्षेत्र ख : (क) दिल्ली का सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र;
(ख) उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र।

राज्यक्षेत्र ग : (क) असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के सम्पूर्ण राज्य;
(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ राज्यक्षेत्र।

राज्यक्षेत्र घ : (क) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के सम्पूर्ण राज्य;
(ख) चण्डीगढ़ का सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र।

राज्यक्षेत्र ङ : (क) महाराष्ट्र राज्य के अकोला, अमरावती, भण्डारा, बुलदाणा, चन्द्रपुर, बुले जलगांव, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में समाविष्ट क्षेत्र;
(ख) मध्यप्रदेश राज्य में बालाघाट, बस्तर, बैतूल, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दुर्ग, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा (उत्तर निमाड़) मण्डला, नरसिंगपुर, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, सागर, सिवनी और सरगुजा जिलों समाविष्ट क्षेत्र।

राज्यक्षेत्र च : (क) मध्य प्रदेश राज्य के भिण्ड, छतरपुर, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन (पश्चिम निमाड़), मंदसौर, मुरैना, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा जिलों में समाविष्ट क्षेत्र।

राज्यक्षेत्र छ : राजस्थान का सम्पूर्ण राज्य।

राज्यक्षेत्र ज : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में आदिलाबाद, करीमनगर, खंमन, हैदराबाद, मेदक, महबूबनगर, नलगोंदा, निजामाबाद और वारंगल जिलों में समाविष्ट क्षेत्र;
(ख) कर्नाटक राज्य में बीदर, गुलबर्गा और रायचूर जिलों में समाविष्ट क्षेत्र;
(ग) महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, भीर, नादेड़-उस्मानाबाद, और परभानी जिलों में समाविष्ट क्षेत्र।

राज्यक्षेत्र झ : कर्नाटक राज्य के बंगलौर, बेलारी, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, कुर्ग, हासन, कालार, माण्डया, मैसूर, शिमोगा, दक्षिण केनारा और तुमकूर जिलों में समाविष्ट क्षेत्र।

राज्यक्षेत्र ञ : आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनन्तपुर, चित्तर, कुडुप्पा, पूर्व गोदावरी, गुन्तुरकृष्णा, कुरनुल, नीलोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलन, विशाखापट्नम और पश्चिम गोदावरी जिलों में समाविष्ट क्षेत्र।

राज्यक्षेत्र ट : (क) केरल और तमिलनाडु के सम्पूर्ण राज्य।
(ख) पाण्डिचेरी और लक्षदीप का सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र।

राज्य क्षेत्र ठ : निम्नलिखित में समाविष्ट क्षेत्र :—

(i) यूनाइटेड किंगडम और आयरलैण्ड ।

(ii) पश्चिम योरोप ।

(iii) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और पूर्व योरोप के देश ।

(iv) उत्तर अफ्रीका जिसके अन्तर्गत अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया, मोरितानिया, गिनी, सेनेगाल, माली, अपरवोल्टा, आयवरी कोस्ट, गेबन, टोगो, दहोमये और जिब्राल्टर आते हैं ।

(v) पश्चिम अफ्रीका जिसके अन्तर्गत घाना, नाइजीरिया, सियरा, लियोन, गोमबिया, कोमेरुन और लायबेरिया आते हैं ।

(vi) पूर्व अफ्रीका जिसके अन्तर्गत कीनिया, यूगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, सिचेलेस, इथियोपिया, सोमालिया, रूआंडा और कांगो आते हैं ।

(vii) मारीशस, मैडागास्कर (मेलगासी गणराज्य) और यूनियन आईलैण्ड्स ।

(viii) अदन, यमन और जिबोटी ।

(ix) मध्य पूर्व जिसके अन्तर्गत संयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, लेबनोन, सीरिया, जोरडन, ईरान, ईराक और टर्की आते हैं ।

(x) अफगानिस्तान ।

(xi) इजराइल ।

(xii) अरब की खाड़ी जिसके अन्तर्गत बेहरीन, कुवैत, कतर, साउदी अरबिया; संयुक्त अरब अमीरात (जो पहले ट्रूसल स्टेट्स कहलाते थे) और ओमन आते हैं ।

(xiii) श्रीलंका ।

(xiv) बंगला देश ।

(xv) बर्मा ।

(xvi) सुदूर पूर्व जिसके अन्तर्गत सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनी, हिन्देशिया, हिन्दचीन जिसमें उत्तर और दक्षिण वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैण्ड, हांगकांग और फिलीपीन समाविष्ट हैं, जापान और ताइवान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड आते हैं ।

(xvii) फिजी आइलैण्ड ।

(xviii) संयुक्त राज्य अमरीका और कैनेडा ।

(xix) लैटिन अमरीका जिसके अन्तर्गत दक्षिण अमरीका के क्षेत्र (गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गायना) को छोड़ कर और क्यूबा आते हैं ।

(xx) वैस्ट इंडीज जिनके अन्तर्गत एंटीगुआ, बारबेडोस, जमैका, ट्रिनिडाड और टोबेको, सेंटलूसिया, सेंट विन्सेंट, पनामा, सूरीनाम, गुयाना और फ्रेंच गायना आते हैं।

(xxi) भूटान और नेपाल।

स्पष्टीकरण 2.—स्पष्टीकरण 1 में किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख को जिसको आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1976 राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं, उस जिले में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश हैं।

9ख. कथाचित्रों के वितरण अधिकारों के अर्जन पर व्यय की बाबत कटौती—(1) किसी ऐसे व्यक्ति के (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् फ़िल्म वितरक कहा गया है) कथाचित्र वितरण के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कथाचित्र के अर्जन की लागत की बाबत कटौती उपनियम (2) से उपनियम (4) के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कथाचित्र के संबंध में "अर्जन की लागत" से वह रकम अभिप्रेत है जो फ़िल्म वितरक द्वारा फ़िल्म निर्माता को, जैसा कि नियम 9क में परिभाषित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे फ़िल्म निर्माता के साथ किए गए करार के अन्तर्गत प्रदर्शन अधिकारों के अर्जन के लिए दी जाती है और जहां प्रदर्शन के अधिकार न्यूनतम गारंटी के आधार पर अर्जित किए गए हों वहां गारंटी की गई न्यूनतम रकम अभिप्रेत है किन्तु उसमें—

(i) फ़िल्म वितरक द्वारा फ़िल्म के पोजिटिव प्रिन्टों को तैयार करने में उपगत व्यय की रकम नहीं आती; और

(ii) फ़िल्म के विज्ञापन की बाबत उपगत व्यय नहीं आता।

(2) जहां किसी कथाचित्र का अर्जन फ़िल्म वितरक द्वारा किसी पूर्व वर्ष में किया जाता है और ऐसे पूर्व वर्ष में,—

(क) फ़िल्म वितरक फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर देता है वहां फ़िल्म के अर्जन की समस्त लागत ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; अथवा

(ख) फ़िल्म निर्माता,—

(i) स्वयं फ़िल्म का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन सभी या कुछ क्षेत्रों में करता है; अथवा

(ii) फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कुछ क्षेत्रों की बाबत कर देता है; अथवा

(iii) स्वयं फ़िल्म का प्रदर्शन वाणिज्यिक आधार पर कतिपय क्षेत्रों में करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों में फ़िल्म के प्रदर्शन का अधिकार विक्रय कर देता है;

और फ़िल्म उस पूर्व वर्ष की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए निर्मोचित कर दी जाती है, वहां फ़िल्म के अर्जन की समस्त लागतऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां कोई कथाचित्र फ़िल्म वितरक द्वारा किसी पूर्व वर्ष में अर्जित किया जाता है और फ़िल्म वितरक ऐसे पूर्व वर्ष में,—

(क) स्वयं फ़िल्म का प्रदर्शन वाणिज्यिक आधार पर सभी या कुछ क्षेत्रों में करता है; अथवा

(ख) फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकार का विक्रय कुछ क्षेत्रों की बाबत कर देता है; अथवा

(ग) स्वयं फ़िल्म का प्रदर्शन वाणिज्यिक आधार पर कतिपय क्षेत्र में करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों की बाबत फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकार का विक्रय कर देता है;

और वह फ़िल्म उस पूर्व वर्ष की समाप्ति के कम-से कम नब्बे दिन पहले वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए निर्मोचित नहीं की जाती तो वहां फ़िल्म के अर्जन की लागत, वहां तक जहां तक कि वह फ़िल्म वितरक द्वारा फ़िल्म के वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन से प्राप्त की गई रकम से अथवा उस रकम से जिस पर प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया गया है अथवा फ़िल्म वितरक द्वारा फ़िल्म के प्रदर्शन से और प्रदर्शन के अधिकार के विक्रय से प्राप्त रकमों के सकल योग से अधिक नहीं है, ऐसे पूर्व वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी; और अतिशेष, यदि कोई है, ठीक आगामी पूर्व वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) जहां उस वर्ष के दौरान जिसमें किसी चित्र को फ़िल्म वितरक द्वारा अर्जित किया गया है, फ़िल्म निर्माता स्वयं वाणिज्यिक आधार पर फ़िल्म को प्रदर्शित नहीं करता है या फ़िल्म के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय नहीं करता है वहां फ़िल्म के अर्जन की लागत की बाबत कोई भी कटौती ऐसे वर्ष के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी; तथा फ़िल्म की पूर्ण अर्जन लागत ठीक आगामी पूर्व वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और उसे वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी इस नियम के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि—

(क) ऐसे मामले में जहां फ़िल्म वितरक—

(i) स्वयं कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन करता है; अथवा

(ii) कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय कर देता है; अथवा

(iii) स्वयं कथाचित्र का वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन कुछ क्षेत्रों में और कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय शेष सभी या कुछ क्षेत्रों की बाबत कर देता है,

फ़िल्म के प्रदर्शन से प्राप्त रकम, अथवा वह रकम जिस पर प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय किया गया है अथवा ऐसी रकमों का सकल योग उस वर्ष की बाबत जिसमें कटौती अनुज्ञेय है, उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों में जमा खाते नहीं कर दी जाती;

(ख) ऐसे मामले में जहां फ़िल्म वितरक ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर कथाचित्र के दर्शन के अधिकारों को अंतरित कर दिया है, गारंटी की गई न्यूनतम रकम और वह रकम, यदि कोई हो, जो गारंटी की गई रकम के आधिक्य में प्राप्त की गई हो या शोध्य हो, अथवा जहां फ़िल्म वितरक लेखे की नकदी प्रणाली का अनुगमन करता है वहां वह रकम जो न्यूनतम गारंटी मद्धे प्राप्त की गई है तथा वह रकम, यदि कोई हो, जो गारंटी की न्यूनतम रकम के आधिक्य में प्राप्त की गई है उस वर्ष की बाबत, जिसमें कटौती अनुज्ञेय है उसके द्वारा रखी गई लेखा बहियों में जमा खाते नहीं कर दी जाती।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों के विक्रय के अन्तर्गत ऐसे अधिकारों को किराये पर देना या न्यूनतम गारंटी के आधार पर उन्हें अन्तरित करना भी आता है;

(ii) किसी कथाचित्र के प्रदर्शन के अधिकारों का विक्रय उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को फ़िल्म के पोजिटिव प्रिन्ट फ़िल्म वितरक द्वारा ऐसे अधिकारों के क्रेता को परिदत्त कर दिए जाते हैं।

(7) उप-नियम (1) से उपनियम (6) तक की कोई बात—

(क) 1 अप्रैल, 1973, 1 अप्रैल, 1974, 1 अप्रैल, 1975 या 1 अप्रैल, 1976 को प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि,—

(i) ऐसी दशा में जहां उस वर्ष की बाबत निर्धारण आय-कर अधिकारी के समक्ष लिखित घोषणा प्रस्तुत करके कि उस कथाचित्र की अर्जन लागत उपनियम (1) से उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञात की जाए, अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता (ऐसा विकल्प उस निर्धारण वर्ष तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा);

(ii) ऐसी दशा में जहां आय-कर अधिकारी द्वारा उस वर्ष की बाबत निर्धारण पूरा कर दिया गया है और फ़िल्म वितरक ने आय-कर अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का आवेदन किया है या करता है फ़िल्म वितरक यथास्थिति, सहायक आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या आयुक्त के समक्ष ऐसी लिखित घोषणा करके कि कथाचित्र की अर्जन लागत उपनियम (1) से उपनियम (6) तक के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञात की जाए, अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता (ऐसा विकल्प उस निर्धारण वर्ष तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम होगा),

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत लागू नहीं होगी।"।

[सं० 1602/एफ़० सं० 142(21)/76-टी पी एल]

एस० एन० शेंडे,

सचिव, प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976